मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :— राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की इक्कीसवीं बैठक, दिनांक 15.05.2013 का कार्यवाही विवरण।

——————

मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय समिति की इक्कीसवीं बैठक दिनांक 15.05.2013 को अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संलग्न **परिशिष्ट—अ** अनुसार समिति के सदस्य एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :—

एजेण्डा क्रमांक—1 समिति की 20 वीं बैठक दिनांक 21.12.2012 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा क्रमांक—2 सदस्य सचिव द्वारा समिति की 20 वीं बैठक दिनांक 21.12.2012 का पालन प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति बीसवीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में की गई कार्यवाही से अवगत हुई।

समिति द्वारा एजेण्डा क्र. 3 से 40 तक इकाईयों के क्लेम प्रकरणों पर चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :—

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी / ट्रायफेक द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अनुशंसित राशि (लाख में)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	मेसर्स कर्लऑन लिमिटेड, भिण्ड (New Unit, 2nd Year Ist Claim)	21.03.2008	2392.97	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 21.03.2008 से दि. 20.03.2018 (10 वर्ष)	2008—09	11.27	11.27	11.27
4.	पूर्व नाम मेसर्स ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड नवीन नाम मेसर्स जीसी वेंचर्स लिमिटेड, जिला उज्जैन (Exp. & Div.,2nd Claim)	20.03.2005	3523.74	'अ'	75 प्रतिशत अवधि दि. 20.03.05 से 19.03.2010 तक (05 वर्ष)	2005—06	104.43	104.43	प्रकरण स्थगित
5.	मेसर्स के.एस. ऑइल्स लिमिटेड, जिला रतलाम (New Unit, Ist Claim)	24.10.2009	9969.86	'स'	75 प्रतिशत	2009—10	62.83	62.83	प्रकरण स्थगित
6.	मेसर्स कृष्णा बेल्ट प्रा. लि. जिला छिंदवाड़ा (New Unit, Ist Claim)	25.03.2009	1069.12	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 25.03.2009 से दि. 24.03.2019 (10 वर्ष)	2009—10	10.08	10.08	10.08
7.	मेसर्स के.एस. ऑइल्स लिमिटेड, गुना (New Unit, Ist Claim)	11.05.2009	21844.57	'स'	75 प्रतिशत	2009—10	221.15	211.14	प्रकरण स्थगित

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी /ट्रायफेक द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अनुशंसित राशि (लाख में)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मेसर्स केसर अलॉयज एंड मेटल्स प्रा.लि., पीथमपुर (Exp. & Div., Ist Claim)	24.02.2010	1082.92	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 24.02.2010 से दि. 23.02.2020 (10 वर्ष)	2010–11	17.56	17.56	17.56
9.	मेसर्स केजेव्ही एलायज कन्डकटर्स प्रा. लि., छिंदवाड़ा (New Unit, Ist Claim)	29.03.2009	1109.84	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 29.03.2009 से दि. 28.03.2019 (10 वर्ष)	2008–09	2.99	2.99	2.99
10.	मेसर्स वर्धमान यार्नस (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड), मण्डीदीप जिला रायसेन (New Unit, 2nd Claim)	15.05.2007	19576.03	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 15.05.2007 से दि. 14.05.2017 तक (10 वर्ष)	2008–09	174.87	123.01	123.01
11.	मेसर्स टेक्समो पाईप्स एंड प्रोडक्टस लि., बुरहानपुर (Exp. Unit, 3rd Year Ist Claim)	12.09.2008	2719.80	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 12.09.2008 से दि. 11.09.2018 तक (10 वर्ष)	2011–12	173.59	173.59	प्रकरण स्थगित
12.	मेसर्स क्रिस्टोपिया एनर्जी सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., खण्डवा रोड, इन्दौर (Div. Unit, Ist Claim)	30.09.2007	343.39	विकसित	50 प्रतिशत अवधि दि. 30.09.2007 से दि. 29.09.2010 तक (3 वर्ष)	2007–08	26.34	26.34	26.34
13.	मेसर्स क्रिस्टोपिया एनर्जी सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., खण्डवा रोड, इन्दौर (Div. Unit, 2nd Claim)	30.09.2007	343.39	विकसित	50 प्रतिशत अवधि दि. 30.09.2007 से दि. 29.09.2010 तक (3 वर्ष)	2008–09	20.98	20.98	20.98
14.	मेसर्स क्रिस्टोपिया एनर्जी सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., खण्डवा रोड, इन्दौर (Div. Unit, 3rd Claim)	30.09.2007	343.39	विकसित	50 प्रतिशत अवधि दि. 30.09.2007 से दि. 29.09.2010 तक (3 वर्ष)	2009–10	23.54	23.54	23.54
15.	मेसर्स व्ही. आर. एस. फूड्स लि., भिण्ड (1st Exp. (3rd Claim)	27.03.2007	1005.09	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 27.03.2007 से दि. 26.03.2017 तक (10 वर्ष)	2009–10	17.35	17.35	17.35
16.	मेसर्स व्ही. आर. एस. फूड्स लि., भिण्ड (1st Exp. (4th Claim)	27.03.2007	1005.09	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 27.03.2007 से दि. 26.03.2017 तक (10 वर्ष)	2010–11	41.51	41.51	41.51
17.	मेसर्स सतरंग स्टील एंड एलॉयज प्रा. लि., मंडीदीप, जिला– रायसेन (Div. Unit, 4th Claim)	01.02.2008	505.20	'स'	50 प्रतिशत अवधि दि. 01.02.2008 से दि. 31.01.2013 तक (5 वर्ष)	2010–11	45.23	45.23	45.23
18.	मेसर्स खण्डवा आयल्स यूनिट–2, खण्डवा (New Unit, 2nd Year 1st Claim)	28.03.2008	1019.74	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 28.03.2008 से दि. 27.03.2018 तक (10 वर्ष)	2008–09	28.42	28.42	प्रकरण स्थगित
19.	मेसर्स खण्डवा आयल्स यूनिट–2, खण्डवा (New Unit, 3rd Year 2nd Claim)	28.03.2008	1019.74	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 28.03.2008 से दि. 27.03.2018 तक (10 वर्ष)	2009–10	205.88	205.88	प्रकरण स्थगित
20.	मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, पीथमपुर जिला धार (Exp. Unit 5th Claim)	04.02.2006	454.04	'स'	50 प्रतिशत अवधि दि. 04.02.2006 से दि. 03.02.2011 तक (5वर्ष)	2009–10	56.20	54.49	54.49

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी /ट्रायफेक द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अनुशंसित राशि (लाख में)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	मेसर्स पेब स्टील लॉयड (इंडिया) लि., पीथमपुर (New Unit 2nd Claim)	01.08.2007	2101.70	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 01.08.2007 से दि. 31.07.2017 (10 वर्ष)	2008–09	44.65	44.65	44.65
22.	मेसर्स आई.पी.एफ. विक्रम इंडिया लि., पीथमपुर (Exp. Unit 2nd Claim)	05.01.2009	1378.00	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 05.01.2009 से दि. 04.01.2019 तक (10 वर्ष)	2009–10	42.22	42.22	42.22
23.	मेसर्स जे.पी. रीवा प्लांट (यूनिट ऑफ जय प्रकाश एसोसिएट्स), रीवा (Exp.. Unit 5th Claim)	01.10.2005	13459.27	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 01.10.2005 से 30.09.2015 तक (10 वर्ष)	2009–10	605.50	605.50	605.50
24.	मेसर्स व्ही. आर. एस. फूड्स लि., भिण्ड (NewUnit, 6th Claim)	01.03.2005	1442.52	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 01.03.2005 से 28.02.2015 तक (10 वर्ष)	2009–10	202.94	191.19	191.19
25.	मेसर्स व्ही. आर. एस. फूड्स लि., जिला–भिण्ड (New Unit, 7th Claim)	01.03.2005	1442.52	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 01.03.2005 से 28.02.2015 तक (10 वर्ष)	2010–11	189.13	188.73	188.73
26.	मेसर्स जे.पी. बेला प्लांट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लि.), रीवा (Exp. Unit, 3rd Claim)	01.10.2005	9552.66	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 01.10.2005 से 30.09.2015 तक (10 वर्ष)	2009–10	107.25	107.25	107.25
27.	मेसर्स कमिंस टेक्नॉलॉजीज इण्डिया लिमिटेड (पूर्व नाम टाटा होलसेट लि.), देवास (Exp. Unit 5th Claim)	15.01.2006	2237.96	'अ'	75 प्रतिशत अवधि दि. 15.01.2006 से दि. 14.01.2011 तक (5 वर्ष)	2009–10	94.52	94.52	94.52
28.	मेसर्स विक्रम यूरेथिन प्रा. लि., पीथमपुर (New Unit, 1st Claim)	30.03.2009	1107.24	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 30.03.2009 से दि. 29.03.2019 तक (10 वर्ष)	2010–11	258.71	258.71	258.71
29.	मेसर्स पर्ल इन्सुलेशन्स प्रा. लि., मण्डीदीप जिला रायसेन (New Unit,1st Claim)	14.09.2011	687.06	'स'	50 प्रतिशत अवधि दि. 14.09.2011 से दि. 13.09.2016 तक (5 वर्ष)	2011–12	4.03	4.03	4.03
30.	मेसर्स प्लेटिनम सीमेंट्स प्रा. लि., जिला धार (New Unit,3rd Claim)	27.03.2009	402.52	'स'	50 प्रतिशत अवधि दि. 27.03.2009 से 26.03.2014 तक (पाँच वर्ष)	2011–12	26.29	26.29	26.29
31.	मेसर्स ईकॉन अंतरी लिमिटेड, ग्वालियर (Exp. Unit,2nd year 1st Claim)	05.03.2009	353.49	'स' (मूल श्रेणी विकसित)	50 प्रतिशत अवधि दि. 05.03.2009 से दि. 04.03.2014 (पांच वर्ष) तक	2009–10	73.93	73.93	73.93
32.	मेसर्स मैहर सीमेन्ट (प्रो. सेन्चुरी टेक्सटाईल एंड इंडस्ट्रीज लि.), सतना (Exp.Unit, 2nd Claim)	01.01.2007	8767.45	'अ'	75 प्रतिशत अवधि दि. 01.01.2007 से दि. 31.12.2013 तक (7 वर्ष)	2007–08	956.64	744.18	744.18
33.	मेसर्स मैहर सीमेन्ट (प्रो. सेन्चुरी टेक्सटाईल एंड इंडस्ट्रीज लि.), सतना (Exp. Unit, 3rd Claim)	01.01.2007	8767.45	'अ'	75 प्रतिशत अवधि दि. 01.01.2007 से दि. 31.12.2013 तक (7 वर्ष)	2008–09	902.17	871.26	871.27
34.	मेसर्स मैहर सीमेन्ट (प्रो. सेन्चुरी टेक्सटाईल एंड इंडस्ट्रीज लि.), सतना (Exp.Unit, 4th Claim)	01.01.2007	8767.45	'अ'	75 प्रतिशत अवधि दि. 01.01.2007 से दि. 31.12.2013 तक (7 वर्ष)	2009–10	852.69	682.73	682.73

एजेण्डा क्रमांक	इकाई का नाम	उत्पादन दिनांक	पात्र स्थायी पूंजी निवेश (लाख में)	जिले की श्रेणी	सुविधा अवधि एवं दर	क्लेम वर्ष	निरीक्षण अधिकारी / वाणिज्यिक कर अधिकारी / ट्रायफेक द्वारा मान्य सहायता राशि (लाख में)	वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार अनुशंसित राशि (लाख में)	समिति द्वारा स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	मेसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, भोपाल (New Unit , 2nd Claim)	28.03.2008	325.40	विकसित	50 प्रतिशत अवधि दि. 28.03.2008 से दि. 27.03.2011 तक (3 वर्ष)	2009–10	10.12	10.02	10.02
36.	मेसर्स के.जे. व्ही एलायज कन्डकटर्स प्रा. लि., छिंदवाड़ा (New Unit, 2nd Claim)	29.09.2009	1109.84	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 29.03.2009 से दि. 28.03.2019 तक (10 वर्ष)	2009–10	21.72	21.72	21.72
37.	मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा. लि, धार (Exp. Unit, 2nd Claim)	30.03.2009	1223.63	'स'	75 प्रतिशत अवधि दि. 30.03.2009 से दि. 29.03.2019 तक (10 वर्ष)	2010–11	71.42	71.42	71.42
38.	मे. बैतूल आयल्स एण्ड फ्लोर्स लि., ग्राम – कैमा, पो.–राइडिंग, जिला – सतना (New Unit, 2nd Claim)	28.03.2010	2576.59	'अ'	75 प्रतिशत, अवधि दि. 28.03.2010 से दि. 27.03.2015 तक (5 वर्ष)	2010–11	165.29	165.29	प्रकरण स्थगित
39.	मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट–2, धार (Exp.& Div. Unit 7th Claim)	04.11.2004	9897.19	'स'	75 प्रतिशत, अवधि दि. 04.11.2004 से दि. 03.11.2014 तक (10 वर्ष)	2010–11	604.33	604.33	604.33
40.	मेसर्स भास्कर व्यंकटेश प्रॉडक्ट प्रा.लि., भोपाल (New Unit 2nd Claim)	04.02.2008	313.08	विकसित	50 प्रतिशत अवधि दि. 23.06.2008 से दि. 03.02.2011	2009–10	120.57	120.31	120.31

उपरोक्तानुसार प्रकरणों पर लिये गये विस्तृत निर्णय निम्नानुसार हैं :–

1. **एजेण्डा क्रमांक 3 – मेसर्स कर्लऑन लिमिटेड जी.ए.ई.–1, औद्योगिक क्षेत्र घिरौंगी (मालनपुर), जिला भिण्ड –**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008–09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 21.03.2008 है। वर्ष 2007–08 हेतु विक्रय न होने के कारण इकाई का क्लेम निरंक रहा है। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त द्वितीय वित्तीय वर्ष के लिये यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2392.97 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 21.03.2008 से 20.03.2018 (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 15.03 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 11.27 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

2. **एजेण्डा क्रमांक 4 – मेसर्स ग्वालियर केमिकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बिरला ग्राम नागदा, तह. नागदा जिला उज्जैन –**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2005–06 के क्लेम प्रकरण पर पुनर्विचार किया गया। समिति इस तथ्य से अवगत हुई कि इकाई का नाम परिवर्तित होकर मेसर्स जीसी वेंचर्स लिमिटेड हो चुका है तथा इकाई की अस्तियाँ वर्ष 2009 में मेसर्स लैंक्सेस इण्डिया को विक्रय की जा चुकी हैं। इकाई का उत्पादन दिनांक 20.03.2005 है तथा 'ए' श्रेणी में स्थापित होने के आधार पर इकाई की पात्रता अवधि 19.03.2010 को समाप्त हो चुकी है। योजना की कण्डिका 8.16 के अनुसार इकाई के क्लेम, पात्रता अवधि समाप्त होने के पूर्व समायोजित किया जाना आवश्यक है अतः यदि पूर्व अथवा नवीन इकाई की पात्रता अवधि के पूर्व की देयताएं शेष हैं तो ही इस क्लेम का निराकरण इकाई के पक्ष में किया जा सकना संभव है। समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि पात्रता अवधि के दौरान पूर्व एवं नवीन इकाई की वाणिज्यिक कर देयता की जानकारी, वाणिज्यिक कर विभाग आगामी बैठक में प्रस्तुत करे तथा प्रकरण आगामी बैठक तक विलंबित रखा जाये।

3. **एजेण्डा क्रमांक 5 – मेसर्स के.एस. ऑइल्स लिमिटेड, ग्राम खाराखेड़ी तहसील व जिला रतलाम –**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में रू. 83.77 लाख कर चुकाया गया है जबकि सरसों (मस्टर्ड) की खरीदी के समय इकाई द्वारा रू. 847.52 लाख टीडीएस (नोशनल आईटीआर) के रूप में अपने पास रखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, टीडीएस की राशि चुकाये गये कर से अधिक होने के कारण इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि टीडीएस का लाभ प्राप्त कर रही इकाईयों को, योजनान्तर्गत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन निर्णय होने तक प्रकरण विलंबित रखा जाये।

4. **एजेण्डा क्रमांक 6 – मेसर्स कृष्णा बेल्ट प्रा. लि. ग्राम खापा करीमवार सतनूर, तह. सौंसर, जिला छिंदवाड़ा –**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 25.03.2009 है।

वर्ष 2008–09 हेतु इकाई द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त द्वितीय वित्तीय वर्ष के लिये यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1069.12 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 25.03.2009 से 24.03.2019 (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 13.44 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 10.08 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

5. **एजेण्डा क्रमांक 7 – मेसर्स के.एस. ऑइल्स लिमिटेड, ग्राम सिलावटी, ए.बी. रोड, गुना–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में रू. 281.52 लाख कर चुकाया गया है जबकि सरसों (मस्टर्ड) की खरीदी के समय इकाई द्वारा रू. 1518.15 लाख टीडीएस (नोशनल आईटीआर) के रूप में अपने पास रखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, टीडीएस की राशि चुकाये गये कर से अधिक होने के कारण इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि टीडीएस का लाभ प्राप्त कर रही इकाईयों को, योजनान्तर्गत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन निर्णय होने तक प्रकरण विलंबित रखा जाये।

6. **एजेण्डा क्रमांक 8 –मेसर्स केसर अलॉयज एंड मेटल्स प्रा.लि., प्लाट क्रं. 117–118, सेक्टर–3, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित एवं डायवर्सिफाइड है। विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 24.02.2010 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1082.92 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 24.02.2010 से 23.02.2020 (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 23.42 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 17.56 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

7. **एजेण्डा क्रमांक 9 – मेसर्स केजेव्ही एलायज कन्डकटर्स प्रा. लि. ग्रोथ सेंटर बोरगांव, तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008–09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 29.03.2009 है। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1109.84 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 29.03.2009 से 28.03.2019 (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 3.98 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 2.99 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

8. **एजेण्डा क्रमांक 10 – मेसर्स वर्धमान यार्नस (ए यूनिट ऑफ वर्धमान टेक्सटाईल्स लिमिटेड) सतलापुर, मण्डीदीप जिला रायसेन–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008–09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 15.05.2007 है। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 21098.00 लाख मान्य किया गया था। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मण्डीदीप द्वारा पुनः प्रतिवेदित किया गया है कि योजनान्तर्गत इकाई का मान्य योग्य पूंजी निवेश रू. 19576.03 लाख है। वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में कुल कर रू. 233.24 लाख चुकाया गया है जिसमें सह उत्पाद पर चुकाया गया कर रू. 69.21 लाख भी शामिल है। उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना 2004 कण्डिका क्र. 6.4 अन्तर्गत इकाईयों को सुविधा सिर्फ मुख्य उत्पाद पर देय है अतः सह उत्पाद पर चुकाये गये कर को कम करने के पश्चात् योजनान्तर्गत सुविधा हेतु चुकाई गई कर राशि रू. 164.02 लाख रहती है। समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में स्थायी पूंजी निवेश रू. 19576.03 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2008–09 में चुकाये गये कर रू. 164.02 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 123.01 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

9. **एजेण्डा क्रमांक 11 – मेसर्स टेक्समो पाईप्स एंड प्रोडक्टस लि., यूनिट–2 98, बहादपुर रोड, बुरहानपुर–**

वाणिज्यिक कर विभाग से प्रतिवेदन के अभाव में प्रकरण आगामी बैठक तक विलंबित रखने का निर्णय लिया गया।

10. **एजेण्डा क्रमांक 12 – मेसर्स क्रिस्टोपिया एनर्जी सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., यूनिट–2 ग्राम–उमरीखेड़ा, 12 किमी, खण्डवा रोड, इन्दौर–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2007–08 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई को योजनान्तर्गत डायवर्सिफाइड उत्पाद हेतु पंजीयन प्राप्त है। वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कम्पनी की यूनिट क्र. 2 की प्रवेश कर मुक्ति की सुविधा हेतु नवीन इकाई मान्य किया गया है तद्नुसार इकाई को डायवर्सिफाइड श्रेणी के स्थान पर नवीन इकाई मान्य करते हुए संशोधित पंजीयन जारी होने के उपरांत पर प्रकरण विचार में लिये जाने हेतु अभिमत प्रस्तुत किया गया है।

इकाई को योजनान्तर्गत डायवर्सिफाइड इकाई मान्य कर पंजीयन प्रदान किये जाने के सन्दर्भ में समिति को अवगत कराया गया कि चूँकि एक ही ग्रुप की विचाराधीन इकाई (यूनिट–2) एवं यूनिट नं. 1 आसपास स्थापित हैं तथा दोनों इकाईयों की कुछ भूमि के खसरा नं. एक ही हैं। अतः प्रबंध संचालक ट्रायफेक, जो कि योजनान्तर्गत पंजीयन प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं, के द्वारा कम्पनी की यूनिट–2 को डायवर्सिफाइड श्रेणी के अन्तर्गत पंजीयन प्रदान किया गया है। समिति इस तथ्य से भी अवगत हुई कि योजनान्तर्गत नवीन इकाई अथवा डायवर्सिफाइड इकाई को एक समान सुविधा प्राप्त होती है अतः डायवर्सिफाइड श्रेणी के अन्तर्गत सुविधा प्रदान किये जाने से इकाई अथवा वाणिज्यिक कर विभाग को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए।

उक्त परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2007–08 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.09.2007 है। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 343.39 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.09.2007 से 29.09.2010 (3 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2007–08 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 52.68 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 26.34 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

11. **एजेण्डा क्रमांक 13 – मेसर्स क्रिस्टोपिया एनर्जी सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., यूनिट–2 ग्राम–उमरीखेड़ा, 12 किमी, खण्डवा रोड, इन्दौर–**

इकाई के पंजीयन के सन्दर्भ में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उठाये गये मुद्दे पर स्थिति इस कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्र. 10 पर दिये गये अनुसार है।

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008–09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.09.2007 है। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 343.39 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.09.2007 से 29.09.2010 (3 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 41.96 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 20.98 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

12. **एजेण्डा क्रमांक 14 – मेसर्स क्रिस्टोपिया एनर्जी सिस्टम (इंडिया) प्रा. लि., यूनिट–2 ग्राम–उमरीखेड़ा, 12 किमी, खण्डवा रोड, इन्दौर–**

इकाई के पंजीयन के सन्दर्भ में, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उठाये गये मुद्दे पर स्थिति इस कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्र. 10 पर दिये गये अनुसार है।

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.09.2007 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा विचारोपरांत योजनान्तर्गत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 343.39 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.09.2007 से 29.09.2010 (3 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 47.08 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 23.54 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

13. **एजेण्डा क्रमांक 15 – मेसर्स व्ही. आर. एस. फूड्स लि., ए.बी.सी.–2, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (घिरौंगी), जिला भिण्ड–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित (प्रथम विस्तार) है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 27.03.2007 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम वर्ष का स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 1005.09 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 27.03.2007 से

26.03.2017 (10 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 23.14 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 17.35 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

14. एजेण्डा क्रमांक 16 – मेसर्स व्ही. आर. एस. फूड्स लि., ए.बी.सी.–2, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (घिरौंगी), जिला भिण्ड–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित (प्रथम विस्तार) है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 27.03.2007 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम वर्ष की स्वीकृति के दौरान समिति द्वारा पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 1005.09 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 27.03.2007 से 26.03.2017 (10 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 55.35 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 41.51 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

15. एजेण्डा क्रमांक 17 – मेसर्स सतरंग स्टील एंड एलॉयज प्रा. लि. प्लॉट नं.–7, न्यू इंडस्ट्रीयल एरिया–II, मंडीदीप, जिला रायसेन–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई डायवर्सिफाइड श्रेणी की है तथा डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.02.2008 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम वर्ष की स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 505.20 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.02.2008 से 31.01.2013 (5 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 90.45 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 45.23 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

16. एजेण्डा क्रमांक 18 – मेसर्स खण्डवा आयल्स यूनिट–2 ग्राम–सिल्टिया, तहसील पंढ़ाना, जिला खण्डवा–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008–09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इकाई

द्वारा वर्ष 2008–09 में रू. 37.89 लाख कर चुकाया गया है जबकि सोयाबीन की खरीदी के समय इकाई द्वारा रू. 476.42 लाख टीडीएस (नोशनल आईटीआर) के रूप में अपने पास रखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, टीडीएस की राशि चुकाये गये कर से अधिक होने के कारण इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि टीडीएस का लाभ प्राप्त कर रही इकाईयों को, योजनान्तर्गत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन निर्णय होने तक प्रकरण विलंबित रखा जाये।

17. **एजेण्डा क्रमांक 19 – मेसर्स खण्डवा आयल्स यूनिट–2 ग्राम–सिल्टिया, तहसील पंढ़ाना, जिला खण्डवा–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में रू. 274.51 लाख कर चुकाया गया है जबकि सोयाबीन की खरीदी के समय इकाई द्वारा रू. 889.25 लाख टीडीएस (नोशनल आईटीआर) के रूप में अपने पास रखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, टीडीएस की राशि चुकाये गये कर से अधिक होने के कारण इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि टीडीएस का लाभ प्राप्त कर रही इकाईयों को, योजनान्तर्गत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन निर्णय होने तक प्रकरण विलंबित रखा जाये।

18. **एजेण्डा क्रमांक 20 – मेसर्स पिनाकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 191, औ0 क्षैत्र, सेक्टर–1 पीथमपुर जिला धार–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 04.02.2006 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह पंचम क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम वर्ष की क्लेम स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 454.04 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.02.2006 से 03.02.2011 (5 वर्ष) मान्य की गई है। प्रकरण की संक्षेपिका में इकाई द्वारा चुकाये गये कर रू. 112.41 लाख होना बताया गया है, परन्तु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की गई अनुशंसा से चुकाये गये कर रू. 108.98 लाख हैं। अतः समिति द्वारा विचारोपरांत,

इकाई के पक्ष में वर्ष 2009–10 हेतु वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर इकाई द्वारा चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 108.98 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 54.49 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

19. एजेण्डा क्रमांक 21 – मेसर्स पेब स्टील लॉयड (इंडिया) लि. प्लाट क्रं.–3बी, खेड़ा ग्रोथ सेन्टर, पीथमपुर–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008–09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.08.2007 है। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान पूर्व में इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2437.01 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.08.2007 से 31.07.2017 (10 वर्ष) मान्य की गई है। द्वितीय क्लेम हेतु इकाई द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को प्रस्तुत रिटर्न (प्रपत्र–3) में इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 2101.70 लाख दर्शाया गया है अतः समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई का संशोधित स्थायी पूंजी निवेश रू. 2101.70 लाख मान्य करते हुए, वर्ष 2008–09 में इकाई द्वारा चुकाये गये कर (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) रू. 59.53 लाख का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 44.65 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

20. एजेण्डा क्रमांक 22 – मेसर्स आई.पी.एफ. विक्रम इंडिया लि., यूनिट–1, प्लाट क्रमांक 62, सेक्टर–1, पीथमपुर–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 05.01.2009 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 1060.91 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 05.01.2009 से 04.01.2019 (10 वर्ष) मान्य की गई है। इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों में रू. 317.09 लाख का अतिरिक्त निवेश किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1378.00 लाख (उत्पादन दिनांक एवं उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों के अन्दर) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 56.29 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 42.22 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

21. **एजेण्डा क्रमांक 23 – मेसर्स जे.पी. रीवा प्लांट (यूनिट ऑफ जय प्रकाश एसोसिएट्स) पो. आ. जे.पी. नगर, रीवा–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित (द्वितीय विस्तार) है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.10.2005 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह पंचम क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 13459.27 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.10.2005 से 30.09.2015 (10 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 807.34 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 605.50 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

22. **एजेण्डा क्रमांक 24 – मेसर्स व्ही. आर. एस. फूड्स लि., ए.बी.सी.–2, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (घिरौंगी), जिला भिण्ड–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.03.2005 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह छठवां क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 1442.52 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.03.2005 से 28.02.2015 (10 वर्ष) मान्य की गई है। प्रकरण की संक्षेपिका में इकाई द्वारा चुकाये गये कर रू. 270.54 लाख होना बताया गया है, परन्तु वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा में चुकाये गये कर रू. 254.92 लाख है अतः समिति द्वारा विचारोपरांत वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर, इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 254.92 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 191.19 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

23. **एजेण्डा क्रमांक 25 – मेसर्स व्ही. आर. एस. फूड्स लि., ए.बी.सी.–2, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (घिरौंगी), जिला भिण्ड–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.03.2005 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह सातवाँ क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 1442.52 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.03.2005 से 28.02.2015 (10 वर्ष) मान्य की गई है। है। प्रकरण की

संक्षेपिका में इकाई द्वारा चुकाये गये कर रू. 252.18 लाख होना बताया गया है, परन्तु वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा में चुकाये गये कर रू. 251.64 लाख है अतः समिति द्वारा विचारोपरांत वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर, इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर रू. 251.64 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 188.73 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

24. एजेण्डा क्रमांक 26 – मेसर्स जे.पी. बेला प्लांट (यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लि.) पो. आ. जे.पी. नगर, रीवा–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.10.2005 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम की स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 9552.66 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.10.2005 से 30.09.2015 (10 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 143.00 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 107.25 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

25. एजेण्डा क्रमांक 27 – मेसर्स कमिंस टेक्नॉलॉजीज इण्डिया लिमिटेड (पूर्व नाम टाटा होलसेट लि.), ए.बी. रोड, देवास –

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित (द्वितीय विस्तार) है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 15.01.2006 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह पंचम क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम वर्ष की स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 2237.96 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 15.01.2006 से 14.01.2011 (5 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 126.03 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 94.52 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

26. एजेण्डा क्रमांक 28 – मेसर्स विक्रम यूरेथिन प्रा.लि. प्लॉट क्र. 63, सेक्टर–2, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर –

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.03.2009 है। वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 हेतु इकाई का क्लेम निरंक रहा है, अतः वर्ष 2010–11 हेतु तृतीय वित्तीय वर्ष के लिये इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। इकाई का योजनान्तर्गत मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 1087.39 लाख है जिसमें उत्पादन दिनांक तक किया गया निवेश रू. 969.72 लाख एवं उत्पादन दिनांक से तीन वर्षों के अन्दर किया गया उत्पादन रू. 117.67 लाख है।

उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 में लिये गये निर्णय अनुसार बढ़े हुए पूंजी निवेश के आधार पर इकाई को बढ़े हुए पूंजी निवेश के दिनांक से 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता हो सकेगी। चूँकि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 में अतिरिक्त पूंजी निवेश रू. 117.67 लाख किया जा चुका था अतः वर्ष 2010–11 हेतु इकाई को बढ़े हुए पूंजी निवेश के अनुसार 75 प्रतिशत सुविधा की पात्रता होनी चाहिए।

उक्त परिप्रेक्ष्य में, समिति द्वारा विचारोपरांत, प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार इकाई के पक्ष में वर्ष 2010–11 हेतु इकाई का स्थायी पूंजी निवेश रू. 1087.39 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.03.2009 से 29.03.2019 (10 वर्ष) मान्य करते हुए इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर रू. 344.95 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 258.71 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि चूँकि राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 06.10.2012 के निर्णय पर वित्त विभाग की पुष्टि अभी अपेक्षित है इसलिये वर्तमान में इकाई के पक्ष में 50 प्रतिशत सहायता अर्थात् रू. 172.47 लाख वितरित की जाये, शेष 25 प्रतिशत सहायता राशि रू. 86.24 लाख, वित्त विभाग से पुष्टि प्राप्त हो जाने के पश्चात् वितरित की जा सकेगी।

27. एजेण्डा क्रमांक 29 – मेसर्स पर्ल इन्सुलेशन्स प्रा.लि. प्लॉट नं. ई 37–38, न्यू औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, मण्डीदीप जिला रायसेन–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 14.09.2011 है। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह प्रथम क्लेम है। प्रकरण की संक्षेपिका एवं

वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार योजनान्तर्गत इकाई का मान्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 687.06 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 14.09.2011 से 13.09.2016 (5 वर्ष) है, जिसे मान्य करते हुए समिति द्वारा विचारोपरांत, इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में चुकाये गये कर रू. 8.07 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 4.03 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

28. एजेण्डा क्रमांक 30 – मेसर्स प्लेटिनम सीमेंट्स प्रा.लि. ग्राम गंगानगर (तिरला) जिला धार –

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2011–12 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 27.03.2009 है। वर्ष 2011–12 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम वर्ष के क्लेम स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 402.64 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 27.03.2009 से 26.03.2014 (5 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2011–12 में चुकाये गये कर रू. 52.58 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 26.29 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

29. एजेण्डा क्रमांक 31 – मेसर्स ईकॉन अंतरी लिमिटेड, अपोजिट रेल्वे स्टेशन आंतरी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 05.03.2009 है। इकाई का वर्ष 2008–09 का क्लेम निरंक है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई का द्वितीय वर्ष का यह प्रथम क्लेम है। ग्वालियर जिला मूलतः विकसित श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है। वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ20–14/05/बी–ग्यारह, भोपाल दिनांक 25.09.2008 से ग्वालियर जिले को आगामी तीन वर्षों के लिये 'स' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। चूँकि विचाराधीन इकाई द्वारा दिनांक 05.03.2009 को उत्पादन प्रारंभ किया गया है अतः शासन के उक्त आदेश अनुसार इकाई को 'स' श्रेणी के अनुरूप तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्षों हेतु निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता होगी।

समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई का योजनान्तर्गत स्थायी पूंजी निवेश रू. 353.49 लाख एवं

सुविधा अवधि दिनांक 05.03.2009 से 04.03.2014 (5 वर्ष) मान्य करते हुए, इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 147.87 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 73.93 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

30. **एजेण्डा क्रमांक 32 – मेसर्स मैहर सीमेन्ट (प्रो. सेन्चुरी टेक्सटाईल एंड इंडस्ट्रीज लि.) सरला नगर, मैहर –**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2007–08 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.01.2007 है। वर्ष 2007–08 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम वर्ष के क्लेम के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 8767.45 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2007 से 31.12.2013 (7 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2007–08 में चुकाये गये कर रू. 992.24 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 744.18 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

31. **एजेण्डा क्रमांक 33 – मेसर्स मैहर सीमेन्ट (प्रो. सेन्चुरी टेक्सटाईल एंड इंडस्ट्रीज लि.) सरला नगर 485772 मैहर, जिला सतना–**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2008–09 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.01.2007 है। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह तृतीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम वर्ष के क्लेम के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 8767.45 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2007 से 31.12.2013 (7 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2008–09 में चुकाये गये कर रू. 1161.69 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 871.27 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

32. **एजेण्डा क्रमांक 34 – मेसर्स मैहर सीमेन्ट (प्रो. सेन्चुरी टेक्सटाईल एंड इंडस्ट्रीज लि) सरला नगर 485772 मैहर, जिला सतना –**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 01.01.2007 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह चतुर्थ क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम वर्ष के क्लेम के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 8767.45 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 01.01.2007 से 31.12.2013 (7 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 910.31 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 682.73 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

33. **एजेण्डा क्रमांक 35 – मेसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 98–ए, सेक्टर–1, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल –**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 28.03.2008 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम वर्ष के क्लेम के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 325.40 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 28.03.2008 से 27.03.2011 (3 वर्ष) मान्य की गई है। प्रकरण की संक्षेपिका में इकाई द्वारा चुकाये गये कर रू. 20.24 लाख होना बताया है, परन्तु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा की गई अनुशंसा में रू. 20.04 लाख है अतः समिति द्वारा विचारोपरांत, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर, इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 20.04 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 10.02 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

34. **एजेण्डा क्रमांक 36 – मेसर्स के.जे. व्ही एलायज कन्डकटर्स प्रा. लि. ग्रोथ सेंटर बोरगांव, तह. सौंसर जिला छिंदवाड़ा –**

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 29.03.2009 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। समिति द्वारा प्रथम क्लेम के

दौरान एजेण्डा क्र. 9 के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश रू. 1109.84 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 29.03.2009 से 28.03.2019 (10 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 28.96 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 21.72 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

35. एजेण्डा क्रमांक 37 – मेसर्स सतगुरू सीमेन्ट प्रा. लि. ग्राम घुरसल, जीराबाद, तह. गंधवानी जिला धार –

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित है एवं विस्तारित क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 30.03.2009 है। वर्ष 2010–11 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम वर्ष की स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 1223.63 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 30.03.2009 से 29.03.2019 (10 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर रू. 95.23 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 71.42 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

36. एजेण्डा क्रमांक 38 – मेसर्स बैतूल आयल्स एण्ड फ्लोर्स लि., ग्राम – कैमा, पो. –राइडिंग, जिला सतना –

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। प्रकरण के सन्दर्भ में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में रू. 220.39 लाख कर चुकाया गया है जबकि सोयाबीन की खरीदी के समय इकाई द्वारा रू. 444.04 लाख टीडीएस (नोशनल आईटीआर) के रूप में अपने पास रखे गये हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार, टीडीएस की राशि चुकाये गये कर से अधिक होने के कारण इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता नहीं आती है। समिति द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि टीडीएस का लाभ प्राप्त कर रही इकाईयों को, योजनान्तर्गत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता के संबंध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। अतः शासन निर्णय होने तक प्रकरण विलंबित रखा जाये।

37. एजेण्डा क्रमांक 39 – मेसर्स नेशनल स्टील एण्ड एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, यूनिट–2, ग्राम सेजवाया (घाटाबिल्लौद) तहसील व जिला धार–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2010–11 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई विस्तारित एवं डायवर्सिफाइड इकाई है एवं विस्तार/डायवर्सिफिकेशन अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 04.11.2004 है। वर्ष 2008–09 हेतु इकाई से प्राप्त यह सातवाँ क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 9897.19 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 04.11.2004 से 03.11.2014 (10 वर्ष) मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत इकाई द्वारा वर्ष 2010–11 में चुकाये गये कर रू. 805.78 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 75 प्रतिशत अर्थात् रू. 604.33 लाख निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

38. एजेण्डा क्रमांक 40 – मेसर्स भास्कर व्यंकटेश प्रॉडक्ट प्रा.लि., जिला भोपाल–

समिति द्वारा इकाई के वर्ष 2009–10 के क्लेम प्रकरण पर विचार किया गया। इकाई नवीन है एवं नवीन क्षमता अन्तर्गत इकाई का उत्पादन दिनांक 04.02.2008 है। वर्ष 2009–10 हेतु इकाई से प्राप्त यह द्वितीय क्लेम है। योजनान्तर्गत इकाई के प्रथम क्लेम स्वीकृति के दौरान पूर्व में स्थायी पूंजी निवेश रू. 313.08 लाख एवं सुविधा अवधि दिनांक 23.06.2008 से 03.02.2011 मान्य की गई है। समिति द्वारा प्रकरण की संक्षेपिका एवं वाणिज्यिक कर विभाग की अनुशंसा के अनुसार विचारोपरांत, इकाई द्वारा वर्ष 2009–10 में चुकाये गये कर रू. 240.62 लाख (कच्चे माल पर चुकाये गये कर को छोड़कर) का 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 120.31 लाख उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई।

सभी सदस्यों को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

(अरूण कुमार भट्ट)
प्रबंध संचालक
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमपीएसआईडीसी एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

(पी.के. दाश)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति

परिशिष्ट–अ

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की इक्कीसवीं बैठ्क दिनांक 15.05.2013 में उपस्थित अधिकारियों की सूची

——————————

क्र.	नाम	पदनाम एवं विभाग
1	श्री पी.के. दाश	अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति
2.	श्री टी. धर्माराव	उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, सदस्य
3	श्री अरूण कुमार भट्ट	प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्रायफेक / एमपी.एस.आई.डी.सी, सदस्य सचिव
4	श्री बी.बी. भारद्वाज	उप सचिव, वित्त (अपर मुख्य सचिव, वित्त के प्रतिनिधि), सदस्य
5	श्री ए.के. मिश्रा	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, सदस्य
	अन्य उपस्थित अधिकारी	
1	श्री सी.एस. धुर्वे	मुख्य महाप्रबंधक, एम.पी. ट्रायफेक